

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय

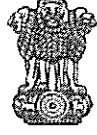
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू0सी0पी0/09/148/2018/एफ0सी0/167

दिनांक: 30/04/2019

सेवा में,

✓ अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद — देहरादून मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना सीवरेज टैंक के अंतर्गत आर्केडिया जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु 0.02 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या— 1231/x-4-18/1(212)/2018 दिनांक 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No **FP/UK/Others/27134/2017** एवं उत्तराखण्ड, अपर सचिव के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.04.2019 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार — जनपद — देहरादून मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना सीवरेज टैंक के अंतर्गत आर्केडिया जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु 0.02 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:—

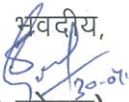
1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सभंभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
5. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
6. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 03 से अधिक न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R.C.C Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।


(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।


(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)